कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,

ई-मेल कार्य

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।

पत्रांकः 09 ह0क्षे0/क्षे0प्र0/आउटसोर्स परिचालक भर्ती/2025 दिनांकः01/01/2025

मे0 वंशिका एच0आर0 सर्विसेज प्रा0लि0,
द्वितीय तल, 7, 8, रानी सल्तनत प्लाजा,
हजरतगंज, लखनऊ–226001।

विषय– निगम मुख्यालय द्वारा स्वीकृत 174 आउटसोर्स परिचालकों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक हरदोई क्षेत्र में जेम पोर्टल के माध्यम से 174 परिचालकों की आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता के रुप में आपकी फर्म का चयन किया गया था।

निगम मुख्यालय के पत्र संख्या–6456सीईएनटी/2024–38निगम/सं0आ0/आगरा/23 दिनांक 30.10.2024 द्वारा 05 बिन्दुओं पर सहमतिस्वरूप आपका शपथ–पत्र मांगा गया था। आप द्वारा दिनांक 07.11.2024 को उल्लिखित बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त कर वांछित शपथ–पत्र निगम मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त निगम मुख्यालय के पत्र संख्या–6930 सीईएनटी/24–38निगम/सं0आ0/आगरा/23 दिनांक 03.12.2024 द्वारा हरदोई क्षेत्र के लिये पूर्व में स्वीकृत 174 पदों का 50 प्रतिशत अर्थात् 87 आउटसोर्स परिचालकों के आपूर्ति की अनुमति प्रदान की गयी है तथा यह निर्देश भी दिये गये है कि उक्त संस्था से अनुबन्ध पत्र भराया जाये (जो कि पूर्व में निष्पादित अनुबन्ध पत्र का ही भाग होगा), 10 प्रतिशत परफारमेंन्स गारण्टी, प्रतिभूति राशि एवं पेनाल्टी आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये अनुपालन आख्या प्रेषित करे। उक्त आबद्धीकरण कार्यवाही के क्रम में 90 प्रतिशत आपूर्ति आपकी संस्था को 03 माह मे अवश्य पूर्ण करानी होगी, अन्यथा विलम्ब से आबद्धीकरण की स्थिति में कुल प्रोजेक्ट वैल्यू का 01 प्रतिशत पेनाल्टी अधिरोपित की जायेगी।

इस कार्यालय के पत्र संख्या–11566 दिनांक 07.12.2024, पत्र संख्या–3840 दिनांक 16.12.2024, पत्र संख्या–3872 दिनांक 19.12.2024 एवं पत्र संख्या–3973 दिनांक 30.12.2024 द्वारा आपको पत्र प्रेषित कर नवीन अनुबन्ध निष्पादित कराने तथा कुल प्रोजेक्ट वैल्यू का 10 प्रतिशत धनराशि रू0 8,35,618/–का एफ0डी0आर0/डी0डी0 तत्काल क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिये गये। आप द्वारा अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 01.01.2025 को रू0 8,35,618/–का एफ0डी0आर0 इस कार्यालय में जमा किया गया। निगम मुख्यालय के निर्देशानुसार आपकी संस्था से दिनांक 01.01.2025 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसकी अवधि दिनांक 22.11.2024 से 21.05.2025 (छः माह) तक प्रभावी रहेगी।

निगम मुख्यालय द्वारा 87 आउटसोर्स परिचालकों एवं पूर्व से कार्यरत 18 ऐसे परिचालक जिन्हें विभिन्न कारणों से आपकी संस्था को वापस कर दिया गया है, के स्थान पर पुनः सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कर उनकी आपूर्ति की प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में वर्गवार/आरक्षणवार पदों का निर्धारण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वर्ग का नाम	स्वीकृत पद/वर्गवार विवरण
01	सामान्य वर्ग	48
02	ई0डब्ल्यू0एस0	05
03	अनुसूचित जाति	22
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	28
05	अनुसूचित जन जाति	02
	योग	105

02.......

अतएव निगम मुख्यालय के पत्र दिनांक 30.10.2024 एवं 03.12.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न वर्गों में रिक्त 105 पदों को भरे जाने हेतु आप तत्काल उक्त रिक्तियों का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों यथा (अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान) में कराने के साथ–साथ सेवायोजन पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण अपलोड कर 08 दिवस के अन्दर परिचालक पद पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के फार्म/आवेदन प्राप्त कर वर्गवार मेरिट के आधार पर सूची व सम्बन्धित अभ्यर्थियों के फार्म समस्त संलग्नकों एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ दैनिक समाचार पत्रों व सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञापन प्रकाशित कराते समय निम्न बिन्दुओं का भी उल्लेख अनिवार्य रुप से किया जाय :–

01. आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थयों को नियमानुसार/शासनादेश के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
02. ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल पर एवं फार्म में कॉलम अवश्य बनाया जाय।
03. विज्ञापन के समय वर्गवार/आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण दिया जाय।
04. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीटिएट उत्तीर्ण हो तथा आवेदन फार्म भरते समय अभ्यर्थी के पास राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से निर्गत् सीसीसी का प्रमाण पत्र हो।
05. रिक्तियों का विज्ञापन प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाय तथा उसकी प्रति क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय को रिकार्ड स्वरुप प्रस्तुत की जाय।
06. मूल अभिलेखों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची का निर्धारण किया जाय।
07. रिक्तियों के विवरण का प्रचार–प्रसार सोशल मीडिया पर व्यापक रुप से किया जाय।
08. सेवायोजन पोर्टल पर रिक्तियों का विज्ञापन अपलोड करने से पूर्व उसका अवलोकन /परीक्षण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से करायें, ताकि विज्ञापन अपलोड करते समय किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना न रहें।

शेष नियम व शर्ते परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत् परिपत्रों के अधीन रहेंगी।

(एम0एल0 केसरवानी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ
02. नोडल अधिकारी (हरदोई क्षेत्र) महोदया, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
03. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।
04. श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव, एमआईएस अनुभाग, क्षे0प्र0 कार्यालय, हरदोई क्षेत्र को इस निर्देश से कि उक्त रिक्तियों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों/सोशल मीडिया पर तत्काल कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

(एम0एल0 केसरवानी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।

अतएव निगम मुख्यालय के पत्र दिनांक 30.10.2024 एवं 03.12.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न वर्गों में रिक्त 105 पदों को भरे जाने हेतु आप तत्काल उक्त रिक्तियों का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों यथा (अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान) में कराने के साथ-साथ सेवायोजन पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण अपलोड कर 08 दिवस के अन्दर परिचालक पद पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के फार्म/आवेदन प्राप्त कर वर्गवार मेरिट के आधार पर सूची व सम्बन्धित अभ्यर्थियों के फार्म समस्त संलग्नकों एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ दैनिक समाचार पत्रों व सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञापन प्रकाशित कराते समय निम्न बिन्दुओं का भी उल्लेख अनिवार्य रुप से किया जाय :-

01. आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थयों को नियमानुसार/शासनादेश के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
02. ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल पर एवं फार्म में कॉलम अवश्य बनाया जाय।
03. विज्ञापन के समय वर्गवार/आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण दिया जाय।
04. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हो तथा आवेदन फार्म भरते समय अभ्यर्थी के पास राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से निर्गत् सीसीसी का प्रमाण पत्र हो।
05. रिक्तियों का विज्ञापन प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाय तथा उसकी प्रति क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय को रिकार्ड स्वरुप प्रस्तुत की जाय।
06. मूल अभिलेखों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची का निर्धारण किया जाय।
07. रिक्तियों के विवरण का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर व्यापक रुप से किया जाय।
08. सेवायोजन पोर्टल पर रिक्तियों का विज्ञापन अपलोड करने से पूर्व उसका अवलोकन /परीक्षण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से करायें, ताकि विज्ञापन अपलोड करते समय किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना न रहें।

शेष नियम व शर्तें परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत् परिपत्रों के अधीन रहेंगी।

(एम0एल0 केसरवानी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ
02. नोडल अधिकारी (हरदोई क्षेत्र) महोदया, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
03. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।
04. श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव, एमआईएस अनुभाग, क्षे0प्र0 कार्यालय, हरदोई क्षेत्र को इस निर्देश से कि उक्त रिक्तियों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों/सोशल मीडिया पर तत्काल कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

(एम0एल0 केसरवानी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।